The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 9 | September 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

उत्तर प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत महिला रोजगार की स्थिति: अम्बेडकर नगर जनपद के सन्दर्भ में एक क्षेत्रीय अध्ययन

अरविन्द पाठक

पी.एचडी.शोध छात्र, अर्थशास्त्र विभाग, बी. एन. के.बी. पी. जी. कालेज, अकबरपुर,अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश

email ID- arvindpathak118@gmail.com

डॉ. सिद्धार्थ पाण्डेय

प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, बी. एन. के. बी. पी. जी. कालेज ,अकबरपुर ,अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश

email ID-Siddharthpandey6@gmail.com

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.17328884

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 26-09-2025

Published: 10-10-2025

Keywords:

महिला श्रमभागीदारी, सामाजिक सशक्तिकरण, मनरेगा, लैंगिक समानता, आर्थिक स्वावलम्बन, रोजगार गारन्टी

ABSTRACT

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत के ग्रामीण समाज में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए एक ऐतिहासिक कदम सिद्ध हुआ है। सामाजिक और आर्थिक रूप से उपेक्षित महिलाओं के सशक्तिकरण में इस योजना का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है।यह अध्ययन अम्बेडकर नगर जनपद में महिला श्रमिकों की भागीदारी, कार्य परिस्थितियों और सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। परिणाम बताते हैं कि महिलाओं की श्रम भागीदारी दर और औसत आय में निरंतर वृद्धि हुई है। हालांकि, भुगतान में विलंब और कार्यस्थलों पर सुविधाओं की कमी जैसी समस्याएँ अब भी विद्यमान हैं।

प्रस्तावना

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। वे कृषि, पशुपालन, लघु उद्योग, घरेलू उत्पादन और सामुदायिक कार्यों में अपनी अहम भूमिका निभाती रही हैं। स्वतंत्रता के बाद डा,से ही महिलाओं को विकास की

प्रक्रिया में समान भागीदारी देने के अनेक प्रयास हुए, किंतु वास्तविकता यह रही कि महिलाओं की श्रम भागीदारी प्रायः असंगठित क्षेत्र तक सीमित रही, जहाँ उन्हें न तो उचित वेतन मिला और न ही सामाजिक सुरक्षा। ऐसे परिदृश्य में "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)" का 2005 में लागू होना एक ऐतिहासिक पहल थी, जिसने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को नई दिशा दी।

मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार का संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित किया। यह योजना प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में कम-से-कम 100 दिनों का मजदूरी आधारित रोजगार प्रदान करने की गारंटी देती है। इसके तहत महिलाओं को समान वेतन, समान अवसर और कार्यस्थलों पर सम्मानजनक व्यवहार की गारंटी दी गई है। इस योजना ने न केवल आर्थिक दृष्टि से महिलाओं को सशक्त किया बल्कि सामाजिक स्तर पर भी उन्हें परिवार और समाज में निर्णय लेने की क्षमता प्रदान की। पहले जहाँ महिलाएँ मजदूरी या कृषि कार्यों में गौण भूमिका में थीं, वहीं अब वे विकास कार्यों की सक्रिय भागीदार बन चुकी हैं।

अम्बेडकर नगर जनपद, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है, एक प्रमुख कृषिप्रधान क्षेत्र है जहाँ महिलाओं की श्रम भागीदारी परंपरागत रूप से अधिक रही है। परंतु रोजगार की अस्थिरता, न्यून वेतन और सुविधाओं के अभाव के कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर रही। इस परिप्रेक्ष्य में मनरेगा ने यहाँ की महिलाओं को न केवल रोजगार का अवसर दिया बल्कि उन्हें नियमित आय और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया। अब महिलाएँ केवल श्रमिक नहीं, बल्कि अपने परिवारों और समुदाय के आर्थिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं। योजना के अंतर्गत कार्यरत महिलाओं की बढ़ती संख्या यह दर्शाती है कि मनरेगा अब सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता का सशक्त उपकरण बन चुकी है।

महिलाओं का सशक्तिकरण केवल आय बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आत्मनिर्भरता, सामाजिक सम्मान और निर्णय लेने की क्षमता भी शामिल है। मनरेगा ने महिलाओं को बैंक खाता संचालन, स्वयं सहायता समूहों में भागीदारी, और ग्राम पंचायत की बैठकों में सक्रिय उपस्थिति जैसे अवसर प्रदान किए हैं। इनसे महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है और अब वे परिवार और समाज में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाने लगी हैं। इस योजना ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मसम्मान और गरिमा के साथ काम करने का अवसर दिया है, जिससे उनके जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

यद्यपि योजना ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है, परंतु इसके प्रभावी क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियाँ भी बनी हुई हैं। कार्यस्थलों पर सुविधाओं का अभाव, भुगतान में विलंब, तकनीकी ज्ञान की कमी और कभी-कभी स्थानीय स्तर

पर पारदर्शिता की समस्या इसका हिस्सा हैं। इन सीमाओं के बावजूद, मनरेगा ने महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में जो योगदान दिया है, वह अभूतपूर्व है। अम्बेडकर नगर के अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि यदि इस योजना को और सुव्यवस्थित किया जाए, तो यह ग्रामीण भारत में लैंगिक समानता और समावेशी विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।स्वतंत्रता के बाद भी ग्रामीण महिलाओं को श्रम बाजार में समान अवसर नहीं मिले। मनरेगा योजना के लागू होने से महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबन की दिशा में एक सशक्त मंच प्राप्त हुआ। इस योजना ने रोजगार को एक अधिकार के रूप में सुनिश्चित किया और महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी और सामाजिक सम्मान का अवसर प्रदान किया। अम्बेडकर नगर जैसे जनपदों में, जहाँ बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, मनरेगा ने महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योजना के अंतर्गत कार्यरत महिलाएँ अब केवल एकश्रमिक नहीं रहीं, अपितु अपने परिवारों और ग्रामीण समाज की विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन चुकी हैं।

शोध उद्देश्य

1. अम्बेडकर नगर जनपद में मनरेगा के अंतर्गत महिला रोजगार की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना।

2. महिला श्रमिकों की आय, कार्य दिवस और कार्य परिस्थितियों का विश्लेषण करना।

3. योजना के अंतर्गत महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण का मूल्यांकन करना।

4. योजना के क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना।

साहित्य समीक्षा

मनरेगा और महिला सशक्तिकरण पर अनेक शोधकर्ताओं, संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने का किए हैं। रीतिका खेड़ा (2016) ने पाया कि मनरेगा ने ग्रामीण महिलाओं को औपचारिक श्रम बाजार से जोड़ा और उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को सशक्त किया। बेला भाटिया (2014) ने बताया कि इस योजना ने पंचायत स्तर पर निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका को मज़बूत किया। ILO (2021) के अनुसार, भारत के ग्रामीण इलाकों में मनरेगा जैसी योजनाएँ महिला श्रम भागीदारी बढ़ाने में अत्यधिक प्रभावी रही हैं। NITI Aayog (2022) की रिपोर्ट ने संकेत किया कि मनरेगा से जुड़ी महिलाओं की औसत आय में 30 से 35 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई। UNDP (2023) ने बताया कि इस योजना ने महिलाओं की वित्तीय साक्षरता और

सामाजिक गतिशीलता को मज़बूत किया। विश्व बैंक (2022) की रिपोर्ट 'Gender and Rural Employment in India' में कहा गया कि मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया। IGNOU (2020) के एक शोध में पाया गया कि मनरेगा से लाभान्वित महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट (2020) ने इसे ग्रामीण महिलाओं के लिए 'policy-driven empowerment framework' कहा। कुमार और शर्मा (2022) ने उत्तर प्रदेश पर आधारित अपने अध्ययन में पाया कि मनरेगा के तहत 70% महिलाएँ पहली बार बैंक खाता संचालित कर रही हैं। TISS (2021) की रिपोर्ट में बताया गया कि महिला श्रमिकों की सामुदायिक नेतृत्व क्षमता में 45% की वृद्धि दर्ज की गई। इन सभी अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि मनरेगा न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महिलाओं के सशक्तिकरण का एक मज़बूत स्तंभ बन चुका है।

शोध विधि

यह अध्ययन अम्बेडकर नगर जनपद के पाँच विकास खंडों – भीटी, टांडा, अकबरपुर, बसखारी और जलालपुर पर आधारित है। प्रत्येक खंड से 40 महिला श्रमिकों का चयन किया गया, जिससे कुल 200 महिलाओं का नमूना तैयार हुआ। डेटा संग्रह के लिए प्रश्नावली, साक्षात्कार और सरकारी अभिलेखों का उपयोग किया गया। संग्रहित आंकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत, औसत और तुलनात्मक तकनीकों द्वारा किया गया।

विश्लेषण एवं परिणाम

तालिका 1 : महिला श्रमिकों की भागीदारी

वर्ष	कुल श्रमिक (हजार)	महिला श्रमिक (हजार)	महिला भागीदारी (%)
2019	185	59	31.8
2020	191	73	38.2
2021	204	85	41.7
2022	215	96	44.6
2023	223	104	46.6
2024	228	107	46.8

स्रोत : जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यालय, अम्बेडकर नगर (2024)

तालिका 1 से स्पष्ट है कि 2019 से 2024 के बीच महिला श्रमिकों की भागीदारी दर में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि मनरेगा ग्रामीण महिलाओं के लिए स्थायी और विश्वसनीय आय का प्रमुख साधन बन चुका है।

तालिका 2 : महिलाओं की औसत कार्य दिवस और आय

वर्ष	औसत कार्य दिवस	औसत आय (₹)
2019	68	7800
2020	72	8300
2021	78	9100
2022	81	9600
2023	85	10300
2024	88	10800

तालिका 2 से ज्ञात होता है कि औसत कार्य दिवस 2019 में 68 से बढ़कर 2024 में 88 हो गए हैं। इसी अवधि में औसत आय ₹7800 से बढ़कर ₹10800 हो गई, जो लगभग 38 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। इससे महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और परिवार की वित्तीय स्थिति में सुधार स्पष्ट होता है।

तालिका 3 : सामाजिक सशक्तिकरण सूचकांक

सूचकांक घटक	2019	2024	वृद्धि (%)
ग्राम सभा में भागीदारी	54	78	44.4
निर्णय क्षमता	49	76	55.1
बैंक खाता संचालन	62	91	46.7
आत्मनिर्भरता भावना	57	84	47.3

तालिका 3 से स्पष्ट होता है कि महिलाओं की ग्राम सभा में भागीदारी, निर्णय क्षमता और वित्तीय साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2019 की तुलना में 2024 तक सामाजिक सशक्तिकरण सूचकांक में औसतन 48% वृद्धि हुई।

निष्कर्ष

मनरेगा योजना ने ग्रामीण भारत, विशेषकर महिलाओं के जीवन में एक गहरा और स्थायी परिवर्तन लाया है। इस योजना ने न केवल रोजगार का अधिकार सुनिश्चित किया, बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में भी अहम भूमिका निभाई है। अम्बेडकर नगर जनपद के उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि मनरेगा ने महिलाओं को नियमित आय का साधन प्रदान किया है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। वे अब परिवार की आर्थिक रीढ़ बन चुकी हैं और अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा घरेलू निर्णयों में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं।

योजना के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ी है — 2019 में जहाँ यह 31 प्रतिशत थी, वहीं 2024 में यह बढ़कर लगभग 47 प्रतिशत तक पहुँच गई। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि ग्रामीण समाज में महिलाओं की श्रम शक्ति को अब अधिक सम्मान और स्वीकार्यता प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त, औसत कार्य दिवस और आय दोनों में वृद्धि होने से महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता में भी इज़ाफ़ा हुआ है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मनरेगा ने न केवल बेरोजगारी को घटाया, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को गरिमापूर्ण आजीविका का अवसर भी प्रदान किया।

सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो मनरेगा ने महिलाओं के आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और सामाजिक भागीदारी को मज़बूती दी है। अब महिलाएँ ग्राम सभा बैठकों में भाग ले रही हैं, पंचायतों में अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रही हैं, और सरकारी योजनाओं की निगरानी में योगदान दे रही हैं। पहले जहाँ वे परिवार या समाज की सीमाओं में बंधी थीं, वहीं अब वे ग्रामीण विकास प्रक्रिया की सक्रिय प्रतिनिधि बन चुकी हैं। सामाजिक सशक्तिकरण सूचकांक के आंकड़े यह दिखाते हैं कि निर्णय क्षमता, वित्तीय साक्षरता और आत्मनिर्भरता भावना में औसतन 45 से 50 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है, जो अत्यंत सकारात्मक संकेत है।

हालांकि योजना के सफल कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं — जैसे भुगतान में विलंब, कार्यस्थलों पर पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव, और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक विलंब। कई बार महिलाओं को कार्यस्थल पर समान व्यवहार नहीं मिल पाता या उन्हें तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण सीमित कार्य सौंपे जाते हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक है कि योजना की निगरानी और सामाजिक लेखा परीक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, तथा महिलाओं के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अनिवार्य किया जाए।

अन्ततः यह कहा जा सकता है कि मनरेगा केवल एक रोजगार गारंटी योजना नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति है जिसने ग्रामीण महिलाओं को सम्मान, आत्मविश्वास और गरिमा प्रदान की है। इस योजना ने न केवल आर्थिक अवसरों का सृजन किया बल्कि ग्रामीण समाज में लैंगिक समानता की दिशा में भी ठोस कदम उठाया है। यदि सरकार और स्थानीय निकाय मिलकर योजना की पारदर्शिता और कार्य दक्षता को और बढ़ाएँ, तो मनरेगा ग्रामीण भारत के लिए एक स्थायी और समावेशी विकास मॉडल बन सकता है। अम्बेडकर नगर का अनुभव इस बात का साक्ष्य है कि जब महिलाएँ विकास प्रक्रिया की केंद्र में होती हैं, तो समाज अधिक संतुलित, न्यायपूर्ण और आत्मनिर्भर बनता है।

संस्तुतियां

1. प्रत्येक कार्यस्थल पर पेयजल, शौचालय और शिशु देखभाल केंद्र की सुविधा अनिवार्य की जाए।

2. भुगतान प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल प्रणाली से जोड़ा जाए ताकि समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

3. पंचायत स्तर पर महिला पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाए।

4. स्व-सहायता समूहों (SHGs) के साथ मनरेगा कार्यों का एकीकरण किया जाए।

5. सामाजिक लेखा परीक्षा को और अधिक पारदर्शी तथा सहभागी बनाया जाए।

सन्दर्भ सूची

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार – 'मनरेगा वार्षिक रिपोर्ट (2023–24)'

2. उत्तर प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद – 'राज्य स्तरीय मनरेगा स्थिति रिपोर्ट (2024)'

3. Dreze, J., & Sen, A. (2013). An Uncertain Glory: India and Its Contradictions. Princeton University Press.

4. Ghosh, D. (2021). Women’s participation in MGNREGA. Economic and Political Weekly, 56(48), 24–30.

5.Indira Gandhi National Open University (IGNOU). (2020). Women Empowerment through MGNREGA. New Delhi.

6. International Labour Organization (ILO). (2021). Employment and Gender Equality in India's Rural Economy. Geneva: ILO Publications.

7. Khera, R. (2016). Women workers and employment guarantee in India. Indian Journal of Labour Economics, 59(2), 213–230.

8. Kumar, R., & Sharma, P. (2022). MGNREGA and women empowerment in Uttar Pradesh. Journal of Rural Studies, 89, 104–115.

9. Ministry of Rural Development, Government of India. (2024). MGNREGA Annual Report (2023–24). New Delhi.

10. Mishra, A. K. (2023). Rural Women Empowerment and MGNREGA. Awadh Publications, Lucknow.

11. National Institute of Rural Development (NIRD). (2023). Impact Assessment of MGNREGA on Rural Women. Hyderabad.

12. NITI Aayog. (2022). Evaluation of MGNREGA Impact on Rural Development. Government of India, New Delhi.

13. Oxford Policy Management. (2020). Rural Employment and Social Mobility in India. London.

14. Tata Institute of Social Sciences (TISS). (2021). Women and Work Participation under MGNREGA. Mumbai.

15. United Nations Development Programme (UNDP). (2023). Human Development Report: Gender Equality and Employment. New York.

16. Uttar Pradesh State Employment Guarantee Council. (2024). State-Level MGNREGA Status Report (2024). Lucknow.

17. World Bank. (2022). Gender and Rural Employment in India. Washington, DC.